100

II/निग०/रीवा/भू.अ./2018/0659

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर रीवा जिला रीवा (म॰प्र॰)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — 30

रामगरीब तनय जमुना प्रसाद भुजवा उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम ढेरा, तहसील मऊगंज जिला रीवा म॰प्र॰ -- निगरानीकर्ता

बनाम

1- प्राचार्य शासकीय उच्चतर मा॰वि॰ढेरा, तहसील मऊगंज जिला रीवा म॰प्र॰

2- शासन म॰प्र॰ -- गैर निगरानीकर्तागण

अधि॰श्री शशि पाण्डेय द्वारा पेश/25-01-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म॰ प्र॰ ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध नायब तहसीलदार साहब सर्कि सीतापुर, तहसील मऊगंज द्वारा पारित आदेश दि॰ 18॰06॰12 जरिये प्रकरण क्र॰-35/ए/12/11-12 अंतर्गत धारा 50-म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1॰ यह कि प्रश्नाधीन आदेश विधि प्रक्रिया व नक्सा तरमीम की निर्धारित कार्य के प्रतिकूल होने से निरस्त करने योग्य है।

2॰ यह कि मूल भूमि नं॰ 51 स्थित ग्राम ढेरा, तहसील मऊगंज जिला रीवा म॰प्र॰ के कुल 72 वटा नम्बर खसरे में अंकित है, जिसमें से उपखण्ड 51/70 रकवा 0॰040 यानी 0॰10 ए॰ का भूमिस्वामी निगरानीकर्ता, है उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता का रहायसी माकान बना है, दुआर निस्तार गोड वारी है, लेकिन निगरानीक की चोरी व गैर जानकारी में मूल भूमि नं॰ 51 के सिर्फ चार वटा नम्बरों को तरमीम नहीं किया गया, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि अगर किसी मूल भूमि के किसी भी एक उपखण्ड को नक्से में तरमीम किया जाता है, त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/ रीवा/भू.रा./2018/659

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस
17/7/18	निगरानी की ग्राहयता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। यह निगरानी नायव तहसीलदार सर्किल सीतापुर तहसील मउगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 35 अ 12/11–12 में पारित आदेश दिनॉक 18–6–2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने यह निगरानी नायव तहसीलदार सर्किल सीतापुर तहसील मउगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 35 अ 12/11–12 में पारित आदेश दिनॉक 18–6–2012 के विरूद्व प्रस्तुत की है किन्तु आदेश दिनांक 18–6–2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई अ पील कमांक 43 अ 12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25–10–17 की प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत की है जिसके विरूद्व यह निगरानी नहीं है । विचाराधीन निगरानी नायव तहसीलदार सर्किल सीतापुर तहसील मउगंज के आदेश दिनॉक 18–6–2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 48 में व्यवस्था दी गई है कि याचिका के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके कि संबंध में आपत्ति की गई है। नायव तहसीलदार सर्किल सीतापुर तहसील मउगंज जिला रीवा के आदेश दिनॉक 18–6–2012 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत करने एंव इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत न करने के अभाव में निगरानी प्रचलन–योग्य न होने से इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	